न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2023/63

1. श्यामलाल पुत्र रामप्रसाद
2. विष्णुदत्त पुत्र रामप्रसाद
3. गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रसाद
4. सुरेश कुमार पुत्र रामप्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नंबर 216 देवी नगर, सोडाला जयपर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक: 19.06.2023

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नंबर 841 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 884/1275 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामप्रसाद द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से दिनांक 17.10.1978 को सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द अजमेरा पुत्र श्री दौलतमल अजमेरा से क्रय कर उक्त आराजी का विक्रय पत्र अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया तथा भौतिक कब्जा विक्रय पत्र के समय प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी के क्रय के पश्चात् उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बराबर बराबर बांट कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी के वर्तमान खाता संख्या नया 131 पुराना 120 के खसरा नंबर 1649 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1652 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1659 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3700 हैक्टेयर कायम किये गये। बाद सहखातेदारो के मध्य तकासमा दिनांक 12.05.2023 को होने पर उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिससे में खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर आया। उक्त आराजी खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर को वाद पत्र के आगे के मदों में विवादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादीगण के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

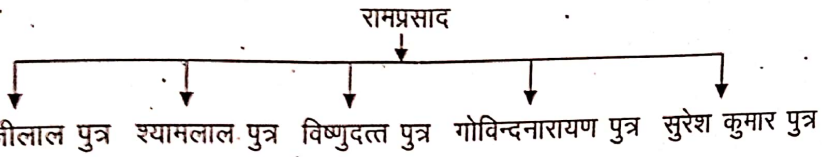

उक्त आराजी वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई आराजी है जिसमें वादीगण के हित निहित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जो उक्त भूमि में निहित अपने अपने हिस्से पर भूमि क्रय की दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण दिनांक 14.05.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय आराजी का वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज करवाने हेतु कहा गया। तो प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने से साफ इन्कार कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ने क्रय की है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई आराजी है। जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहित है। वादीगण उक्त आराजी में निहित अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद में वर्णित आराजी वाकै ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हाल खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड नाम अमल दरामद करने की तहरीर जारी की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण को इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजीयात अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्य रहें तथा किसी भी प्रकार कोई लेख्य पत्र तस्दीक एवं पंजीयन करने से निषेद्व रहें तथा वादी के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, मदाखलत करने से निषेद्व रहें तथा अपने–अपने परिवारजन, एज़ेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्य रखे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित है कि : वादीगण ने विरूद्व प्रतिवादीगण एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नंबर 841 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 884/1275 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक के पिता रामप्रसाद द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से दिनांक 17.10.1978 को सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द अजमेरा पुत्र श्री दौलतमल अजमेरा से क्रय कर उक्त आराजी का विक्रय पत्र अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतिवादी संख्या एक के नाम से विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया तथा भौतिक कब्जा विक्रय पत्र के समय प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी के क्रय के पश्चात् उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक बराबर–बराबर बांट कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी के वर्तमान खाता संख्या 131 पुराना 120 के खसर नंबर 1649 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1652 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1659 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3700 हैक्टेयर कायम किये गये। बाद सहखातेदारो के मध्य तकासमा दिनांक 12.05.2023 को होने पर उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नंबर 1115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर आया। वादीगण के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

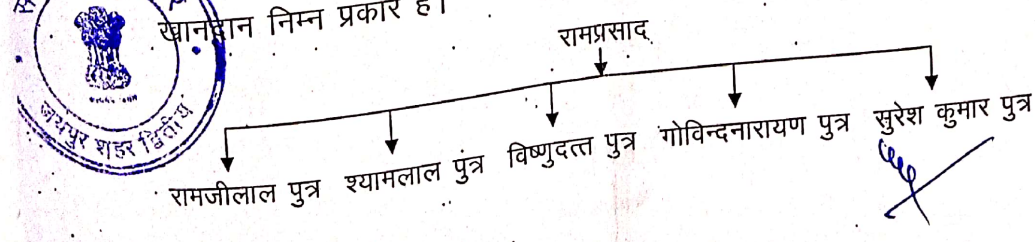

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य ग्राम व समाज के मोजिज व्यक्तियों के समझाने पर वादीगण व प्रतिवादी के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। और प्रतिवादी संख्या 1 के हिसाब का लेन देन वादीगण ने कर अब कोई लेन देन शेष नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के पक्ष में उसके हिस्सेनुसार डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति व उर्ज नही है।

अतः उभय पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद अधीन आराजी का वादीगण व उसके हिस्सेनुसार डिक्री किया जाकर वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति व उज्र नही है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत राजीनामें पर सुना जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत राजीनामा अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 का हाल रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 है वादपत्र में वर्णित सजरा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में भाई है। वादग्रस्त आराजीयात के हाल रिकॉर्डेड खातेदार ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वह स्वयं है वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से मेरे बडे होने के कारण मेरे नाम से ही क्रय की गई थी। अब मैं मेरे भाईयों के नाम उनके हिस्से की आराजी सहमति से देना चाहता हूँ। अतः राजीनामें अनुसार वाद को डिक्री करने की कृपा करें।

उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5–1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण का नाम हस्बेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

श्यामलाल बनाम रामजीलाल व अन्य

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2023/63

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिंसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 3115/1659 रकबा 0.5925 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5–1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण का नाम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......✓...... मुबलिग ......✓...... बावत् ......✓...... फीसदी .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ......✓...... का सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......✓...... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बावत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय